## न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिसल नं. 14 सन् 2019

स्टेट जरिये पटवारी हल्का काहिरा बनाम दमाराम

पुत्र श्री परताराम

जाति जाट

निवासी काहिरा

### राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत

निर्णय दिनांक 30/7/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का काहिरा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री दमाराम पुत्र श्री परताराम जाति जाट निवासी काहिरा ने खसरा नंबर 1481/790 मि. तादादी 0.0375 वाके रोही काहिरा किस्म गै मु. रास्ता में संवत् 2076 में किस्म नाजायज कब्जा/काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट की गिरदावर हल्का द्वारा जॉच की जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री दमाराम पुत्र श्री परताराम जाति जाट निवासी काहिरा को राजस्थान भू–अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री दमाराम उपस्थिति/अनुपस्थित। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री दमाराम द्वारा खसरा नंबर 1481/790 मि. तादादी 0.0375 गोचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही काहिरा में संवत् 2076 में नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री दमाराम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावान 1 रकबा 0.0375 का 50 गुणा बतौर शास्ति 2=00 /–रू. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते है। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को लिखा जावे कि मौके पर पहुंच कर अतिक्रमीं को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु तथा पटवारी हल्का को आरोपित शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे।

पत्रांवली फैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/7/19 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा जिला बीकानेर
तहसीलदार नोखा